

जिला ई-गवर्नेन्स सोसाइटी, औरैया

लोकवाणी केन्द्र स्थापित करने हेतु आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नाम : _____
2. पिता/पति का नाम : _____
3. पता : _____
4. दूरभाष संख्या :
5. शैक्षिक योग्यता : _____
(इण्टरमीडिएट/स्नातक/परास्नातक/अन्य)
6. कम्प्यूटर ज्ञान है अथवा नहीं : _____
7. प्रस्तावित केन्द्र का नाम व पूरा पता : _____

8. नगर पंचायत व बार्ड का नाम : _____
9. वर्तमान व्यवसाय : _____
10. उपलब्ध कम्प्यूटर हार्डवेयर/अन्य उपकरण

आवेदक का फोटो

प्रकार

संख्या

1. कम्प्यूटर
2. प्रिन्टर
3. स्केनर
4. डिजिटल कैमरा
5. इण्टरनेट कनेक्शन : बी.एस.एन.एल/ब्राड बैंड/डेटा कार्ड अथवा अन्य

11. आवेदक स्वयं केन्द्र संचालन करेगा-या आपरेटर नियुक्त करेगा :
12. क्या जेनरेटर/इन्वर्टर की सुविधा है ?
13. इस क्षेत्र में अनुभव (संक्षिप्त विवरण)

(हस्ताक्षर)


नोट :- आवेदन पत्र को भरकर मुख्य विकास अधिकारी, औरैया/सचिव, जिला ई-गवर्नेन्स सोसाइटी औरैया कार्यालय में जमा करें। अधिक जानकारी के लिए 05683-246985 पर सम्पर्क करें। आवेदन पत्र लोकवाणी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वेबसाइट (<http://www.auraya.nic.in/lokvaniform.pdf>)

(कार्यालय प्रयोग हेतु)

आवेदन पत्र प्राप्ति का दिनांक : रजिस्टर क्रमांक : नगर पंचायत

विज्ञप्ति

जिला ई-गवर्नेन्स सोसाइटी के अन्तर्गत सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों व सूचनाओं के प्रसारण एवं ई-डिलीवरी के माध्यम से शासकीय सेवाओं को आम नागरिकों को उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से जनपद औरैया के अन्तर्गत नगर पंचायतों/नगर पालिका परिषद में लोकवाणी केन्द्रों को खोलने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप लोकवाणी वेबसाइट (<http://www.auraya.nic.in/lokvaniform.pdf>) पर उपलब्ध है। आवेदक के पास कम से कम एक कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं इण्टरनेट कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध हो। लोकवाणी केन्द्र संचालक कम्प्यूटर केन्द्र स्वयं स्थापित करेगा जिसके अनुरक्षण एवं संचालन हेतु आवश्यक उपकरणों को व्यवस्थित करने के लिए वह स्वयं उत्तरदाई होगा। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र मुख्य विकास अधिकारी, औरैया/सचिव, जिला ई-गवर्नेन्स सोसाइटी औरैया कार्यालय में दिनांक 07/10/13 तक जमा किए जा सकते हैं। चयनित लोकवाणी केन्द्र संचालकों को पंजीयन के समय रू0 5000.00 जमानत राशि एवं रू0 5000.00 रजिस्ट्रेशन शुल्क (एक वर्ष के लिए) जमा करना होगा। आवेदन पत्र के साथ आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति एवं कम्प्यूटर ज्ञान (यदि हो) से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाय। लोकवाणी केन्द्र खोले जाने हेतु नियम एवं शर्तों के सम्बन्ध में जानकारी किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।



सचिव

जिला ई-गवर्नेन्स सोसाइटी (लोकवाणी)
औरैया


अध्यक्ष

जिला ई-गवर्नेन्स सोसाइटी (लोकवाणी)
औरैया